२१ ८ प्रार्थी श्री [illegible] उपखण्ड अधिकारी,
अपील धारा ५६ के अन्तर्गत हाजिर।
दोनों पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी
की ओर से आपत्ति उठाई है। अपील अपीलार्थी
ने धारा ५६ के अन्तर्गत की है। अपीलार्थी
का कहना है कि उसके पक्ष में
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन
किया गया। मुकदमा बंटवारे का है। विवादित
भूमि पर पार्टी के हित निहित है तथा
अभी पर कानूनी आदि किसी प्रकार का
विवेचन करने पर पार्टी के हित प्रभावित
होना पाया है। अतः प्रार्थना-पत्र पार्टी को स्वीकार
किया जाता है। अपीलार्थी को अंतिम अन्तर्वाद निषेधाज्ञा
से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त
20 ने, 40 ने, 21 वाले खसरा नम्बरों पर
हल्का आईवाली तहसील व जिला सीकर की भूमि
पर बाड़ोरने वाड़ खिंचवाने अतिरिक्त कोई
निर्माण आदि नहीं करें। हिस्सा विशेष भूमि का
बेचान नहीं करें, ना ही किसी तीसरी व्यक्ति
के हक में कोई अधिकार सृजित करें।
पत्रावली फैसले अनुसार होकर नस्थ रिकार्ड
हो। दोनों पक्षकारों को सूचना दी जाये।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर